रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271465
CG-DL-E-31032026-271465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218]	नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2026/चैत्र 10, 1948
No. 218]	NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2026/CHAITRA 10, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2026

सा.का.नि. 237(अ).— प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 365(अ), दिनांक 3 जून, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनका प्रभावित होना संभाव्य है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, से साठ दिवस की अवधि के भीतर प्रकाशित की गई थी;

उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 3 जून, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न पणधारियों से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक को प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में,--

(क) खंड (छक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:--

(छक) "जीवन के अंत में निपटान" से ऊर्जा पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से प्लास्टिक कचरे का उपयोग अभिप्रेत है, जिसमें सीमेंट, इस्पात, या किसी अन्य समान उद्योग जैसे उद्योगों में सह-प्रसंस्करण, अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रक्रियाएं, अपशिष्ट-से-तेल रूपांतरण, और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण में उपयोग सम्मिलित है:

(ख) उप-नियम (थक) में, "नए उत्पादों में रूपांतरण" शब्दों के पश्चात्, "या ऊर्जा का उत्पादन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) नियम 3 के उप-नियम (थख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:--

"(थख) "प्लास्टिक अपशिष्ट संसाधक" से ऐसी संस्थाएं अभिप्रेत है, जो प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में सम्मिलित हैं, या जो प्लास्टिक अपशिष्ट के अंतिम निपटान में लगी हुई हैं;

(घ) खंड (ब) में,-

(i) "शहरी स्थानीय निकाय" शब्दों के पश्चात् "या प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) "किसी अन्य स्थानीय निकाय" शब्दों के पश्चात् "या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ङ) खंड (पक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्

(पक) "रजिस्ट्रीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक" से ऐसा पर्यावरण लेखा परीक्षक अभिप्रत है जो पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025 के अधीन यथा परिभाषित है;

(पख) "पुन: उपयोग" से किसी वस्तु या संसाधन सामग्री का या तो उसी उद्देश्य के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, वस्तु की संरचना को बदले बिना पुनः उपयोग करना अभिप्रेत है;

(पग) "विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रत है जो प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादन में प्रयुक्त प्लास्टिक कच्चे माल जैसे रेजिन या पेलेट्स या मध्यवर्ती सामग्री का विक्रय करता है;

3. नियम 11 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्

"(2) प्रत्येक पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग या वस्तु भारतीय मानक आईएस 14534:2023, जिसका शीर्षक 'प्लास्टिक - प्लास्टिक अपशिष्ट की पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण - दिशानिर्देश' है, के अनुरूप होनी चाहिए और उस पर नीचे दर्शाए गए लेबल और चिह्न होने चाहिए जो उक्त मानक के अनुसार पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को दर्शाते हों, और साथ ही खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट लागू चिह्नांकन और लेबलिंग आवश्यकताओं का भी अनुपालन करना चाहिए

टिप्पण: पीईटी-पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट, एचडीपीईE-हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, वी-विनाइल (पीवीसी), एलडीपीई-लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, पीपी-पॉलीप्रोपाइलीन, पीएच-पॉलीस्टाइरीन और 'अन्य' से शेष सभी रेज़िन और मल्टी-

मटीरियल, जैसे एबीएस (एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडीन स्टाइरीन), पीपीओ (पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड), पीसी (पॉलीकार्बोनेट), पीबीटी (पॉलीब्यूटिलीन टेरेफ्थेलेट) अभिप्रेत है।

4. नियम 12 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएँगे, अर्थात्:--

(3अ) अपनी अधिकारिता में संबंधित स्थानीय निकाय, कचरा उत्पन्न् करने वाले द्वारा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या वैसी ही मदों, प्लास्टिक शीट से बने कवर और प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रयोग पर रोक या प्रतिषिद्ध, और इन नियमों के नियम 4 के अधीन प्रतिषिद्ध की गई मदों से जुड़े इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए प्राधिकृत होगा। और जिन मामलों में शहरी स्थानीय निकाय और संबंधित विधियों के अधीन गठित स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र आपस में मिलते हैं, वहाँ इस उप-नियम के अधीन उपबंधों को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय प्राधिकृत होगा; और शहरी स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र से बाहर, लेकिन स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों जिनमें शहरी सीमा से सटे क्षेत्र भी सम्मिलित हैं के लिए, इस उप-नियम के अधीन उपबंधों को लागू करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण प्राधिकृत होगा।

(3आ) अपनी अधिकारिता में संबंधित ग्राम पंचायत, कचरा उत्पन्न् करने वाले द्वारा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या वैसी ही मदों, प्लास्टिक शीट से बने कवर और प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रयोग पर रोक या प्रतिषेद्ध, और इन नियमों के नियम 4 के अधीन प्रतिषिद्ध की गई मदों से जुड़े इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए प्राधिकृत होगी।

(3इ) अपनी अधिकारिता में जिला स्तर पर संबंधित पंचायत, कचरा उत्पन्न करने वाले द्वारा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या वैसी ही मदों, प्लास्टिक शीट से बने कवर और प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रयोग पर रोक या प्रतिषिद्ध, और इन नियमों के नियम 4 के अधीन प्रतिषिद्ध की गई मदों से जुड़े इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए प्राधिकृत होगी।

5. इन नियमों के नियम 16 में,—

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इन नियमों को लागू करने की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन करेगा, जिसमें नीचे दिए गए व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्—

(1)	(2)	(3)
(क)	राज्य सरकार के मुख्य सचिव या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रमुख	अध्यक्ष
(ख)	नगर प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या प्रभारी सचिव या उनका नामित व्यक्ति	सदस्य
(ग)	पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या प्रभारी सचिव या उनका नामित व्यक्ति	सदस्य
(घ)	शहरी विकास के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या प्रभारी सचिव या उनका नामित व्यक्ति	सदस्य
(ङ)	ग्रामीण विकास के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या प्रभारी सचिव या उनका नामित व्यक्ति	सदस्य
(च)	पर्यावरण के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या प्रभारी सचिव या उनका नामित व्यक्ति	सदस्य
(छ)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव	सदस्य
(ज)	दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों के नगरपालिका आयुक्त	सदस्य

(झ)	दस लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों से भिन्न शहरों के एक नगरपालिका आयुक्त	सदस्य
(ञ)	जिला स्तरीय पंचायतों का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
(ट)	अपशिष्ट प्रबंधन में अर्न्तवलित किसी गैर-सरकारी संगठन से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाने वाला एक विशेषज्ञ	सदस्य
(ठ)	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाने वाला किसी उद्योग संघ का एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ड)	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाने वाला उद्योग क्षेत्र से एक विशेषज्ञ	सदस्य
(ढ)	राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित किया जाने वाला शिक्षा जगत का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(ण)	पंचायती राज संस्थाओं के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग का प्रभारी निदेशक	सदस्य
(त)	नगर प्रशासन के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विभाग का प्रभारी निदेशक	सदस्य सचिव“

(ii) उप-नियम (2) में “विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा” शब्दों के स्थान पर “विशेषज्ञों और अन्य सरकारी पदाधिकारियों को, जिनमें जिला स्तर के पदधिकारी भी सम्मिलित हैं, को आंमत्रित कर सकेगा” शब्द जोड़े रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 17 में,—

(i) उप-नियम (5) में “नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से” शब्दों के पश्चात “या पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों की अनुसूची-II में,—

(i) पैरा 7 में,—

(क) उपपैरा (7.2) मेः—

(अ) खंड (क) में, “4 (iii)” अंक एवं कोष्ठक के स्थान “4 (ग)” अंक, कोषटक व अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का दायित्व (उपाबंध में उदाहरण 6 देखिए)

(i) उत्पादक निम्नानुसार दी गई प्रवर्गवार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—

सारणी

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग
(वर्ष के लिए विनिर्मित प्लास्टिक पैकेजिंग का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग प्रवर्ग	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके बाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग I	30	40	50	60
प्रवर्ग II	10	10	20	20
प्रवर्ग III	5	5	10	10

ऊपर दिये गये प्रवर्गवार पुनर्चक्रित प्लास्टिक के अनिवार्य उपयोग के लक्ष्य उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां किसी विधि या विनियम या नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार या कानूनी निकाय जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, या केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया हो, या किसी प्रवृत्त अनिवार्य भारतीय मानक या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य कानूनी अपेक्षा के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग अनुज्ञात नहीं है।

परंतु इस उपबंध के अधीन छूट का दावा करते समय उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी को सुसंगत विधि या विनियम या नियम या अनिवार्य भारतीय मानक को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत करेंगे।

टिप्पण :

1. कानूनी अपेक्षा से ऐसे कानून या विनियम या नियम या अनिवार्य भारतीय मानक अभिप्रेत है, जिसमें पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग अनुज्ञात नहीं है।
2. प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के लेखा परीक्षण एवं सत्यापन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निहित किए जाएंगे।
3. बहु-स्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग (प्रवर्ग III) के मामले में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का लक्ष्य केवल उसमें विद्यमान प्लास्टिक परतों के भार तक सीमित होगा।”

(ii) उत्पादक को वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के अनिवार्य उपयोग के अपूर्ण लक्ष्य को 2026-27 से प्रारंभ होने वाली लगातार तीन वर्ष तक, उन वर्ष के लिए अनिवार्य लक्ष्य के अतिरिक्त, अग्रेषित करना अनुज्ञात है, परंतु उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में अपूर्ण लक्ष्य का कम से कम एक तिहाई भाग पूरा किया जाए, जब तक कि संपूर्ण अग्रेषित अपूर्ण लक्ष्य पूरा न हो जाए।

(ख) उप-पैरा (7.3) में,

(अ) खंड (क) में, “4 (iii)” अंक एवं कोष्ठक के स्थान पर “4 (ग)” अंक, कोष्टक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग की बाध्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)

(i) आयातक निम्नानुसार प्रवर्ग-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा, अर्थात् :—

सारणी

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष के लिए आयातित प्लास्टिक पैकेजिंग का प्रतिशत)

प्लास्टिक पैकेजिंग प्रवर्ग	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके बाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग I	30	40	50	60
प्रवर्ग II	10	10	20	20
प्रवर्ग III	5	5	10	10

I. आयातित सामग्री में प्रयुक्त किसी भी पुनर्चक्रित प्लास्टिक की बाध्यता की पूर्ति हेतु नहीं गिना जाएगा। आयातक को अपने पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग की बाध्यता को (मात्रात्मक रूप में) ऐसे उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों से समतुल्य मात्रा के प्रमाण-पत्र खरीदकर पूरा करना होगा, जिन्होंने अपनी बाध्यता से अधिक पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे विनिमय के लिए केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर तंत्र विकसित करेगा।

II. ऊपर दिए गए प्रवर्गवार पुनर्चक्रित प्लास्टिक के अनिवार्य उपयोग के लक्ष्य उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां किसी विधि या विनियम या नियम, जहां केन्द्रीय सरकार या कानूनी निकाय जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, तथा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया हो, या किसी प्रवृत्त अनिवार्य भारतीय मानक के अधीन या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य कानूनी अपेक्षा के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग अनुज्ञात नहीं है।

परंतु इस उपबंध के अधीन छूट का दावा करते समय उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी को सुसंगत विधि या विनियम या नियम या अनिवार्य भारतीय मानक को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत करना होगा.

टिप्पण:

1. कानूनी अपेक्षा से ऐसी प्रवृत्त विधि या विनियम या नियम या अनिवार्य भारतीय मानक अभिप्रेत है, जहां पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग अनुज्ञात नहीं है।
2. प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के लेखा परीक्षा और सत्यापन के लिए मार्गदर्शक-सिद्धांत इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित किए जाएंगे।
3. बहु-स्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग (प्रवर्ग III) के मामले में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का लक्ष्य बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग (प्रवर्ग III) में विद्यमान प्लास्टिक परतों के भार तक सीमित होगा।"

II. आयातक को वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के अनिवार्य उपयोग के अपूर्ण लक्ष्य को 2026-27 से प्रारंभ होने वाली लगातार तीन वर्ष तक, उन वर्ष के लिए अनिवार्य लक्ष्य के अतिरिक्त, अग्रेषित करना अनुज्ञात है, परंतु उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में अपूर्ण लक्ष्य का कम से कम एक तिहाई भाग पूरा किया जाए, जब तक कि संपूर्ण अग्रेषित अपूर्ण लक्ष्य पूरा न हो जाए।

(ङ) उपपैरा 7.4 में, खंड (ख) में—

(क) उप-खंड (I) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्—

"(I) प्रवर्ग I (कठोर) प्लास्टिक पैकेजिंग का उपयोग करने वाले ब्रांड स्वामियों पर निम्नानुसार ऐसी पैकेजिंग के पुनः उपयोग का न्यूनतम बाध्यता होगी:—

परंतु उपरोक्त उपबंध उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां प्रवर्ग I कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः उपयोग किसी विधि या विनियम या नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार या कानूनी निकाय जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय ओषधि मानक नियंत्रण संगठन, तथा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया हो, या किसी प्रवृत्त अनिवार्य भारतीय मानक या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य कानूनी अपेक्षा के अधीन अनुज्ञात नहीं है.

परंतु यह और कि इस उपबंध के अधीन छूट का दावा करते समय उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी को सुसंगत अधिसूचना या कानूनी आदेश या नियम या विनियम या अनिवार्य भारतीय मानक को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत करना होगा:

टिप्पण: 1. कानूनी अपेक्षा से ऐसी प्रवृत्त विधि या विनियम या नियम या अनिवार्य भारतीय मानक अभिप्रेत है, जिसमें प्रवर्ग I कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनः उपयोग अनुज्ञात नहीं है।"

(ख) उपखंड (II) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(II) प्रवर्ग I (कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग) के पुनः उपयोग के लिए न्यूनतम दायित्व।

सारणी

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (प्रतिवर्ष बेचे जाने वाले उत्पादों में प्रवर्ग I की कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में)
(1)	(2)	(3)
क	प्रवर्ग I की कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग जिसकी यथास्थिति आयतन या मात्रा 0.9 लीटर या किलोग्राम के बराबर या उससे अधिक हो किन्तु 4.9 लीटर या किलोग्राम से कम हो,	
1.	2025 – 26	10
2.	2026 – 27	15
3.	2027-28	20
4.	2028-29 और उसके बाद	25
ख	प्रवर्ग I की कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग जिसकी यथास्थिति आयतन या मात्रा 4.9 लीटर या किलोग्राम के बराबर या उससे अधिक हो, जिसका उपयोग पेयजल की पैकेजिंग के लिए किया जाता है।	
1.	2025 – 26	70
2.	2026 – 27	75
3.	2027-28	80
4.	2028-29 और उसके बाद	85
ग	प्रवर्ग I की कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग जिसकी यथास्थिति आयतन या मात्रा 4.9 लीटर या किलोग्राम के बराबर या उससे अधिक हो, जिसका उपयोग पेयजल से भिन्न अन्य उत्पादों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है।	
1.	2025 – 26	10
2.	2026 – 27	10
3.	2027-28	15
4.	2028-29 और उसके बाद	15

ब्रांड स्वामी को वर्ष 2025-26 के लिए पुनः उपयोग की न्यूनतम बाध्यता के अपूर्ण लक्ष्य को वर्ष 2026-27 से प्रारंभ होने वाली अधिकतम तीन लगातार वर्ष तक, उन वर्ष के लिए आनिवार्य लक्ष्य के अतिरिक्त अग्रेषित करना अनुज्ञात होगा, परंतु उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में अपूर्ण लक्ष्य का कम से कम एक-तिहाई भाग पूरा किया जाएगा जब तक कि पूरा अपूर्ण लक्ष्य पूरा न हो जाए :

परंतु यह और कि उत्पाद की गुणवत्ता और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने तथा अनिवार्य भारतीय मानकों/नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व संबंधित ब्रांड स्वामी का होगा;"

(ग) उपखंड (III) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा:—

"(III) ब्रांड स्वामी को कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग में कुल बिक्री, वर्जिन प्लास्टिक सामग्री के उपयोग तथा पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का विवरण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित केन्द्रीयकृत पोर्टल पर अपनी वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत करना होगा।"

(घ) उपखंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा:—

"(ङ) पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग की बाद्यता (उपाबंध में उदाहरण 6 देखें)

(i) ब्रांड स्वामी निम्नानुसार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग सुनिश्चित करेगा अर्थात् :—

सारणी

प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का अनिवार्य उपयोग

(वर्ष में उपयोग की गई प्लास्टिक पैकेजिंग का %)

प्लास्टिक पैकेजिंग प्रवर्ग	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 और उसके बाद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रवर्ग I	30	40	50	60
प्रवर्ग II	10	10	20	20
प्रवर्ग III	5	5	10	10

ऊपर दिए गए प्रवर्ग-वार प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के अनिवार्य उपयोग के प्रवर्गवार लक्ष्य उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहां केंद्रीय सरकार या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड जैसे कानून निकायों द्वारा अधिसूचित किसी विधि, नियम या विनियम के अधीन या किसी प्रवृत्त भारतीय अनिवार्य मानक या केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य कानूनी अपेक्षा के अधीन प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग अनुज्ञात नहीं है।

परंतु यह और कि इस प्रावधान के अधीन छूट का दावा करते समय, उत्पादक, आयातक या ब्रांड स्वामी को सुसंगत विधि, नियम या विनियम या भारतीय अनिवार्य मानक को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी वार्षिक विवरण में प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पण :

1. कानून अपेक्षा से किसी ऐसे विधि, नियम, विनियम या अनिवार्य भारतीय मानक अभिप्रेत है, जिसके अधीन पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग अनुज्ञात नहीं है।

2. प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के लिए लेखापरीक्षा और सत्यापन संबंधी मार्ग दर्शक सिद्धांत इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर की प्रवधि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा विहित किए जाएंगे।

3. बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग (प्रवर्ग III) के मामले में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग का लक्ष्य बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग (प्रवर्ग III) में विद्यमान प्लास्टिक परतों के कुल भार तक सीमित होगा।

(ii) ब्रांड स्वामी को वर्ष 2025-26 के लिए खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों में प्रयुक्त प्लास्टिक पैकेजिंग में पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के अनिवार्य उपयोग के अपूर्ण लक्ष्य को 2026-27 से प्रारंभ होने वाली लगातार तीन वर्ष तक, उन वर्ष के लिए अनिवार्य लक्ष्य के अतिरिक्त, अग्रेषित करना अनुज्ञात है, परंतु उक्त अवधि के प्रत्येक वर्ष में अपूर्ण लक्ष्य का कम से कम एक तिहाई भाग पूरा किया जाए, जब तक कि संपूर्ण अग्रेषित अपूर्ण लक्ष्य पूरा न हो जाए।

8. उक्त नियमों की अनुसूची II में,

(क) पैरा 12 के उपपैरा (12.4) में, "नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से" शब्दों के पश्चात् "या पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 13 के उपपैरा में (13.1) में, "नामनिर्दिष्ट अभिकरण के माध्यम से" शब्दों के पश्चात् "या पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक" शब्द अतःसथापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 17/4/2025-एचएसएम]

नीलेश कुमार साह, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 320(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 285(अ), तारीख 27 मार्च, 2018; सा.का.नि. 571(अ), तारीख 12 अगस्त, 2021; सा.का.नि. 647(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2021; सा.का.नि. 133(अ), तारीख 16 फरवरी, 2022; सा.का.नि. 522(अ), तारीख 7 जुलाई, 2022; सा.का.नि. 318(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2023; सा.का.नि. 807(अ), तारीख 30 अक्टूबर, 2023; सा.का.नि. 201(अ), तारीख 14 मार्च, 2024 तथा सा.का.नि. 73(अ), तारीख 23 जनवरी, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2026

G.S.R. 237(E).— WHEREAS, the draft rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number No. G.S.R 365 (E) dated the 3rd June 2025, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which the copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette were made available to the public on the 3rd June 2025;

AND WHEREAS, objections and suggestions received within the specified period have been duly considered by the Central Government.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 3, 6, and 25 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules) in rule 3, —

(a) For clause (ga), the following clause shall be substituted, namely:—

'(ga) "end of life disposal" —means the utilisation of plastic waste for the purpose of energy recovery including co-processing in industries such as cement, steel, and any other similar industry, waste-to-energy processes, waste-to-oil conversion, and use in road construction in accordance with applicable guidelines;

Provided that, it shall not include processes wherein plastic waste is converted into feedstock chemicals, or for the production of new plastic , which shall be considered as recycling;';

(b) in clause (qa), after the words "transformation into new products", the words " or generation of energy" shall be inserted;

(c) for clause (qb), the following clause shall be substituted, namely:—

'(qb) "Plastic Waste Processors" means entities involved in recycling of plastic waste or entities engaged in end of life disposal of plastic waste";

(d) in clause (w),—

(i) after the words "urban local body", the words "or authority" shall be inserted;

(ii) after the words "any other local body", the words "or local authority or other authority" shall be inserted;

(e) for clause (ua), the following clauses shall be substituted, namely:—

'(ua) "registered environment auditor" means Environment Auditor as defined under the Environment Audit Rules, 2025;

(ub) "reuse" means using an object or resource material again for either the same purpose or another purpose without changing the object's structure;

(uc) "seller" means a person who sells plastic raw material such as resins or pellets or intermediate material used for producing plastic packaging;'.

3. In rule 11, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely,: —

"(2) Each recycled plastic packaging or commodity shall conform to the Indian Standard: IS 14534: 2023 titled 'Plastics—Recovery and Recycling of Plastics Waste—Guidelines', and shall bear the label and marking as shown below indicating the use of recycled plastic content in accordance with the said standard, and shall also comply with the applicable marking and labelling requirements specified by the Food Safety and Standards Authority of India, in respect of food contact application.".

NOTE: PET-Polyethylene terephthalate, HDPE-High density polyethylene, V-Vinyl (PVC), LDPE- Low density polyethylene, PP-Polypropylene, PS-Polystyrene and Other means all other resins and multi-materials like ABS (Acrylonitrile butadiene styrene), PPO (Polyphenylene oxide), PC (Polycarbonate), PBT (Polybutylene terephalate)".

4. In rule 12, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(3A) The concerned Local Body in its jurisdiction shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, restriction or prohibition on use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and plastic packaging and items prohibited under rule 4, and in cases where

urban local body and a local authority, constituted under relevant statutes, have overlapping jurisdictions, the urban local body shall be the authority for enforcement of the provisions under this sub-rule, and for areas beyond the jurisdiction of urban local body but within the jurisdiction of local authority including peri urban areas, the local authority shall be the authority for enforcement of the provisions under this sub-rule.

(3B) The concerned Gram Panchayat in its jurisdiction shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, restriction or prohibition on use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and plastic packaging and items prohibited under rule 4.

(3C) The concerned Panchayat at District Level in its jurisdiction shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, restriction or prohibition on use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and plastic packaging and items prohibited under rule 4.".

5. In Rule 16 of the said rules, —

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government or the Union territory Administration shall, for the purposes of effective monitoring of implementation of these rules, constitute a State Level Monitoring Committee, consisting of the persons as per the following table, namely:—

(1)	(2)	(3)
(a)	Chief Secretary of State Government or Head of Union territory Administration	Chairman
(b)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for municipal administration or his nominee	Member
(c)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for Panchayati Raj Institutions or his nominee	Member
(d)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for Urban Development or his nominee	Member
(e)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for Rural Development or his nominee	Member
(f)	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in charge of the Department of the State Government or Union territory Administration responsible for Environment or his nominee	Member
(g)	Member Secretary of the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee	Member
(h)	Municipal Commissioners of cities having a population of one million or more	Member
(i)	One Municipal Commissioner from cities other than cities having a population of one million or more	Member
(j)	One Chief Executive Officer of the District Level Panchayats	Member
(k)	One expert from a Non-Governmental Organisation involved in Waste management to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member
(l)	One representative of an industry association to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member
(m)	One expert from the field of Industry to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member
(n)	One expert from academia to be nominated by the State Government or Union territory Administration	Member
(o)	Director in charge, Department of the State Government or a Union territory administration responsible for Panchayati Raj Institutions	Member
(p)	Director in charge, Department of the State Government or a Union territory administration responsible for municipal administration	Member-Secretary";

(ii) in sub-rule (2), after the words “may invite experts” the words “and other Government officials including district level officials” shall be inserted.

6. In Rule 17 of the said rules, in sub-rule (5), after the words “designated agency” the words “or Registered Environment Auditor” shall be inserted.

7. In the said rules, in Schedule II, in paragraph 7, —

(a) in sub-paragraph (7.2) —

(A) in clause (a), for the figures and brackets “4 (iii)”, the figure, brackets and letter “4 (c)” shall be substituted;

(B) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: —

“(d) Obligation for use of recycled plastic content (refer example 6 in Annexure)

(i) The producer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as per the table given below, namely: —

TABLE

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of plastic packaging manufactured for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

The targets for mandatory use of recycled plastic in plastic packaging category-wise, as given above, shall not be applicable in cases, where use of recycled plastic in plastic packaging is not permitted, under a law or regulation or rule notified by Central Government or by statutory bodies such as Food Safety and Standards Authority of India, Central Drugs Standard Control Organisation, or the Central Insecticide Board or any mandatory Indian standard, in force, or any other statutory requirement specified by the Central Government:

Provided that while claiming exemption under this provision the producer, importer or brand owner shall submit the applicable law or regulation or rule or a mandatory Indian standard in their annual returns on the centralised online portal.

Note:

1. Statutory requirement shall mean a law or regulation or rule or a mandatory Indian Standard, in force, where use of recycled plastic content is not permitted.
2. Guideline for audit and verification for use of recycled content in plastic packaging shall be prescribed by the Central Pollution Control Board within a period of six months from the date of notification of these rules.
3. The target for use of recycled plastic content, in case of multi-layered plastic packaging (Category III), shall be limited to the weight of plastic layers present in the multi-layered plastic packaging (Category III).

(ii) The producer is permitted to carry forward the unfulfilled target for mandatory use of recycled plastic content in plastic packaging used in food contact applications for the year 2025-26, for a period of up to three consecutive years starting from 2026-27 over and above the target mandated for those years, while ensuring that a minimum of one third of the unfulfilled carried forward target is fulfilled in each year of that said period, till the complete carried forward unfulfilled target is fulfilled.

(b) in sub-paragraph (7.3), —

(A) in clause (a), for the figures and brackets "4 (iii)", the figure, brackets and letter "4 (c)" shall be substituted;

(B) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: —

"(d) Obligation for use of recycled plastic content (Refer example 6 in Annexure)

(i) The Importer shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as per the table given below, namely: —

TABLE

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of imported plastic packaging for the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

I. Any recycled plastic used in imported material shall not be counted towards fulfilment of obligation. The importer shall fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such Producers, Importers, and Brand Owners who have used recycled content in excess of their obligation. Central Pollution Control Board will develop mechanism for such exchange on the centralised online portal.

II. The targets for mandatory use of recycled plastic in plastic packaging category-wise, as given above, shall not be applicable in cases, where use of recycled plastic in plastic packaging is not permitted, under a law or regulation or rule notified by Central Government or by statutory bodies such as Food Safety and Standards Authority of India, Central Drugs Standard Control Organisation, or the Central Insecticide Board or any mandatory Indian standard, in force, or any other statutory requirement specified by the Central Government:

Provided that while claiming exemption under this provision the producer, importer or brand owner shall submit the applicable law or regulation or rule or a mandatory Indian standard in their annual returns on the centralised online portal.

Note:

1. Statutory requirement shall mean a law or regulation or rule or a mandatory Indian Standard, in force, where use of recycled plastic content is not permitted.
2. Guideline for audit and verification for use of recycled content in plastic packaging shall be prescribed by the Central Pollution Control Board within a period of six months from the date of notification of these rules.
3. The target for use of recycled plastic content, in case of multi-layered plastic packaging (Category III), shall be limited to the weight of plastic layers present in the multi-layered plastic packaging (Category III).

(ii) The importer is permitted to carry forward the unfulfilled target for mandatory use of recycled plastic content in plastic packaging used in food contact applications for the year 2025-26, for a period of up to three consecutive years

starting from 2026-27 over and above the target mandated for those years, while ensuring that a minimum of one third of the unfulfilled carried forward target is fulfilled in each year of that said period, till the complete carried forward unfulfilled target is fulfilled

(c) in sub-paragraph 7.4, in clause (b) —

(A) for sub-clause (I), the following sub-clause shall be substituted, namely: —

"(I) The Brand Owners using Category I (rigid) plastic packaging for their products shall have minimum obligation to reuse such packaging as per the table given below:

Provided that the above target provided in table shall not be applicable in cases where reuse of Category I rigid plastic packaging is not permitted under a law or regulation or rule notified by the Central Government or by statutory bodies, such as Food Safety and Standards Authority of India, Central Drugs Standard Control Organisation, or the Central Insecticide Board or mandatory Indian standard, in force, or any other statutory requirement specified by the Central Government:

Provided further that while claiming exemption under this provision the brand owner shall provide the applicable notification or statutory order or rules or regulation or a mandatory Indian standard in their annual returns on the centralised online portal.

Note: 1. Statutory requirement shall mean a law or regulation or rule or a mandatory Indian Standard in force, where reuse of Category I rigid plastic packaging is not permitted.";

(B) for sub-clause (II), the following sub-clause shall be substituted, namely: —

"(II) Minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging).

TABLE

Sr. No.	Year	Target (as percentage of Category I rigid plastic packaging in products sold annually)
(1)	(2)	(3)
A	Category I rigid plastic packaging with volume or weight equal or more than 0.9 litre or kg but less than 4.9 litres or kg, as the case may be	
1.	2025 – 26	10
2.	2026 – 27	15
3.	2027-28	20
4.	2028-29 and onwards	25
B	Category I rigid plastic packaging with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg used for packaging of drinking water.	
1.	2025 – 26	70
2.	2026 – 27	75
3.	2027-28	80
4.	2028-29 and onwards	85
C	Category I rigid plastic packaging with volume of weight equal or more than 4.9 litres or kg used for packaging of products other than drinking water.	
1.	2025 – 26	10
2.	2026 – 27	10
3.	2027-28	15
4.	2028-29 and onwards	15

The brand owner is permitted to carry forward the unfulfilled target of minimum obligation to reuse for Category I (rigid plastic packaging), for the year 2025-26, for a period of up to three consecutive years starting from 2026-27 over and above the target mandated for those years while ensuring that a minimum of one third of the unfulfilled

carried forward target is fulfilled in each year of that said period, till the complete carried forward unfulfilled target is fulfilled:

Provided that responsibility for ensuring product quality and authenticity of products being packaged and implementation of mandatory Indian Standards or mandatory regulations shall lie with the concerned Brand owner.":

(C) for sub-clause (III), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

"(III) The Brand Owner shall furnish information on the total sales, use of virgin plastic content and recycled plastic content in the rigid plastic packaging in their annual return, on the centralised portal developed by the Central Pollution Control Board.";

(D) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely: —

"(e**)** Obligation for use of recycled plastic content (refer example 6 in Annexure)

(i) The brand owner shall ensure use of recycled plastic in plastic packaging category-wise as per the table given below, namely:—

TABLE

Mandatory use of recycled plastic in plastic packaging

(% of plastic packaging used in the year)

Plastic packaging category	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 and onwards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Category I	30	40	50	60
Category II	10	10	20	20
Category III	5	5	10	10

The targets for mandatory use of recycled plastic in plastic packaging category-wise, as given above, shall not be applicable in cases, where use of recycled plastic in plastic packaging is not permitted, under a law or regulation or rule notified by Central Government or by statutory bodies such as Food Safety and Standards Authority of India, Central Drugs Standard Control Organisation, or the Central Insecticide Board or any mandatory Indian standard, in force, or any other statutory requirement specified by the Central Government:

Provided that while claiming exemption under this provision the producer, importer or brand owner shall submit the relevant law or regulation or rule or a mandatory Indian standard in their annual returns on the centralised online portal.

Note:

1. Statutory requirement shall mean a law or regulation or rule or a mandatory Indian Standard, in force, where use of recycled plastic content is not permitted.
2. Guideline for audit and verification for use of recycled content in plastic packaging shall be prescribed by the Central Pollution Control Board within a period of six months from the date of notification of these rules.
3. The target for use of recycled plastic content, in case of multi-layered plastic packaging (Category III), shall be limited to the weight of plastic layers present in the multi-layered plastic packaging (Category III).

(ii) The brand owner is permitted to carry forward the unfulfilled target for mandatory use of recycled plastic content in plastic packaging used in food contact applications for the year 2025-26, for a period of up to three consecutive years starting from 2026-27 over and above the target mandated for those years, while ensuring that a minimum of one

third of the unfulfilled carried forward target is fulfilled in each year of that said period, till the complete carried forward unfulfilled target is fulfilled

(8) In the said rules, in Schedule II, —

(a) in paragraph 12, in sub-paragraph (12.4), after the words "through a designated agency", the words "or Registered Environment Auditor" shall be inserted;

(b) in paragraph 13, in sub-paragraph (13.1), after the words "through a designated agency", the words "or Registered Environment Auditor" shall be inserted.

[F. No. 17/4/2025-HSM]

NEELESH KUMAR SAH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 320(E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 285(E), dated the 27th March, 2018; G.S.R. 571(E), dated the 12th August, 2021; G.S.R. 647(E), dated the 17th September, 2021; G.S.R. 133(E), dated the 16th February 2022; G.S.R. 522(E) dated the 7th July 2022; G.S.R. 318(E), dated the 27th April 2023; G.S.R. 807(E) dated the 30th October 2023; G.S.R. 201(E) dated the14th March 2024 and last amended *vide* notification number G.S.R. 73 (E) dated the 23rd January 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA